भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *92
जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशें

***92. श्री माथेश्वरन वी. एस. :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 में आज तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों, जिन पर सरकार ने पुनर्विचार की मांग की है, की संख्या कितनी है और मामला-दर-मामला ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में स्थानांतरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की 25 और 26 अगस्त, 2025 की सिफारिश पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

श्री माथेश्वरन वी.एस. द्वारा पूछा गया उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों से संबंधित तारांकित प्रश्न सं. 92, जिसका उत्तर 5 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है, के संबंध में भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) और (ख) : संविधान के अनुच्छेद 222 में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायामूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और अंतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अंतरण का प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ किया जाता है ।

प्रक्रिया ज्ञापन, यह और उपबंध करता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों को ध्यान में रखें, जहां से न्यायाधीश का अंतरण होना है और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के विचारों पर भी ध्यान दें, जहां अंतरण किया जाना है, इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के ऐसे एक या अधिक न्यायाधीशों के विचारों को भी ध्यान में रखें, जो विचार करने की स्थिति में है । मुख्य न्यायमूर्ति सहित संबद्ध न्यायाधीश से संबंधित व्यक्तिगत कारक और प्रस्ताव पर उसकी प्रतिक्रिया, जिसमें उनके स्थानों की वरीयता भी सम्मिलित है, के प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के प्रथम चार अवर न्यायाधीशों द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए । संपूर्ण देश में, न्याय प्रशासन का बेहतर संवर्धन करने के लिए सभी अंतरण लोक हित में किए जाते हैं । प्रक्रिया ज्ञापन में एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के अंतरण के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है ।
